न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व वाद संख्या 165/2020 अन्तर्गत धारा 88,40,188,209 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
अयुबखान पुत्र रहमानखान जाति मुसलमान, निवासी जुनेजों की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. मीरमोहम्मद पुत्र रहमानखान 2. ईमाम पुत्र रहमानखान 3. असकरअली पुत्र रहमानखान 4. सपुरा पत्नी रहमानखान 5. रामती पत्नी याकुबखान 6. बाबूखान पुत्र याकुबखान 7. साबीरखान पुत्र याकुबखान वादी संख्या 7 अवयस्क जरिये कुदरती वलिया माता प्रतिवादीनी संख्या 5 रामती पत्नी याकुबखान 8. ढुलो पत्नी आचारखान पुत्री राणा 9. धाई पत्नी जमाखान पुत्री राणा 10. किंची उर्फ लालो पत्नी अयुबखान पुत्री राणा 11. रमजान पुत्र चानणा 12. दोसू पुत्र चानणा 13. करीमो पत्नी चानणा 14. रामतुल्लाखान पुत्र काम्भू 15. हैयातखान पुत्र काम्भू जाति मुसलमान, निवासी जुनेजों की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर 16. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :— 1. अधिवक्ता वादी — श्री बृजमोहन कुमावत।
2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4, 8, 14, 15 — श्री जेठाराम कुमावत।

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 13.02.2023

वादी के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 15 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है, जो पूर्व पुरूष स्व0 वली पुत्र रायधनखान की जाईन्दा संताने है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 15 की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा जुनेजों की ढाणी, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 326, 339, 347, 388 रकबा क्रमशः 135.02, 20.03, 0.10, 17.07 बीघा की आयी हुई है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 स्व0 रहमानखान पुत्र वलीखान की संताने है एवं उक्त विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को रहमानखान पुत्र वली के फौत होने पर विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त विवादित आराजी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 का खातेदारी हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 8 से 10 का खातेदारी हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 11 से 13 का खातेदारी हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 14 व 15 का भी खातेदारी हिस्सा 1/4 आया हुआ है। उक्त हिस्सा मुजब अनुसार पक्षकारान् मौके पर रहवासी ढाणियों, पानी के टांको व पशुबाड़ों सहित काबिज काश्त है। वादी के पिता रहमानखान पुत्र वलीखान के फौत होने पर फौतगी नामांतरकरण वादी के बड़े भाई ने भरवाया। उक्त नामातरंकरण में स्व0 रहमान खान के [illegible] रूप से भरे जाने थे, किन्तु तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा उक्त नामांतरकरण में वादी [illegible] नाम [illegible]ते हुए नामांतरकरण पारित कर दिया जिससे वादी को अपने पैतृक अधिकारों से वंचित [illegible] पड़ रहा है। उक्त विवादित आराजी में वादी रहमानखान की जाइंदा संतान होने से [illegible] संख्या 1 से साथ हक हिस्सां बनता है, जबकि वादी [illegible] नहीं होने पर वादी को [illegible] हिस्से की भूमि का विकास एवं अन्य सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाता है, इसलिए वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के साथ स्वयं को सहखातेदार घोषित करवाने का

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh Jodha
Date: 2023.04.05 19:06:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अधिकारी होने से उक्त वाद खातेदारी घोषणा हेतु प्रस्तुत कर मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर विभाजन किये जाने का निवेदन किया गया है।

वाद पंजीयन किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 4, 8, 14 व 15 की ओर से जरिये अधिवक्ता ईकबाली जवाबदावा प्रस्तुत कर उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के साथ सहखातेदार घोषित किये जाने को स्वीकार किया है तथा साथ ही विभाजन बाबत् काउण्टर क्लेम पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। वादी की ओर से बतौर साक्ष्य बयान शपथ पत्र पेश किया गया तथा दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बतौर साक्ष्य बयान शपथ पत्र पेश कर वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के साथ सहखातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया गया।

पक्षकारान् द्वारा अपने बयान कलमबद्ध करवाये और दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान जमाबंदियां, विरासती नामांतरकरण पेश किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में धारा 53 के तहत चाहा गया अनुतोष वापिस लेते हुए धारा 53 को तर्क करने का निवेदन किया जाने पर धारा 53 को तर्क किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा वादी की ओर से पहचान दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड, बैंक डायरी व अन्य दस्तावेज पेश किये गये।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वाद के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी में वादी का प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के साथ विरासती हक हिस्सा होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तद्नुसार वादी को प्रतिवादीगण के साथ सहखातेदार घोषित किया जावें। प्रतिवादी संख्या 1 से 4, 8, 14 व 15 के अधिवक्ता द्वारा वादी अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए विवादित आराजी में प्रतिबादी संख्या 1 से 7 के साथ वादी की खातेदारी घोषणा का निवेदन किया गया।

हमने वाद के तथ्यों पर उभयपक्ष अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। चूंकि वादी एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार स्व0 वलीखान पुत्र रायधनखान के विधिक वारिस है। अतः उनके हक हिस्सा का अंतरण भी बराबर होना चाहिए था। फौतगी नामांतरकरण व वर्तमान जमाबंदी में वादी का नाम दर्ज नहीं है, जबकि वादी अधिवक्ता की ओर से पेश दस्तावेज यथा राशनकार्ड, बैंक डायरी, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व अन्य दस्तावेज तथा साक्ष्य शपथ पत्र से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 स्व0 वलीखान के पुत्र स्व0 रहमानखान के वारिश होना साबित है। चूंकि उक्त वाद में वादी अधिवक्ता द्वारा वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के साथ सहखातेदार घोषित करने की इस्तदुआ चाही गई है एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4, 8, 14, 15 के अधिवक्ता द्वारा भी विवादित आराजी में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के साथ सहखातेदार घोषित किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः वादी के स्व0 रहमानखान का वारिश होना साबित होने से वादग्रस्त आराजी में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा जुनेजों की ढाणी, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 326, 339, 347, 388 रकबा क्रमशः 135.02, 20.03, 0.10, 17.07 बीघा भूमि में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद ... किये जाते है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahaveer Singh Jodha
Date: 2023.04.05 19:06:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner

(आदेश 20 के नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व वाद संख्या 165/2020 अन्तर्गत धारा 88,40,188,209 RT Act

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
अयुबखान पुत्र रहमानखान जाति मुसलमान, निवासी जुनेजों की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. मीरमोहम्मद पुत्र रहमानखान 2. ईमाम पुत्र रहमानखान 3. असकरअली पुत्र रहमानखान 4. सपुरा पत्नी रहमानखान 5. रामती पत्नी याकुबखान 6. बाबूखान पुत्र याकुबखान 7. साबीरखान पुत्र याकुबखान वादी संख्या 7 अवयस्क जरिये कुदरती वलिया माता प्रतिवादीनी संख्या 5 रामती पत्नी याकुबखान 8. ढुलो पत्नी आचारखान पुत्री राणा 9. धाई पत्नी जमाखान पुत्री राणा 10. किंची उर्फ लालो पत्नी अयुबखान पुत्री राणा 11. रमजान पुत्र चानणा 12. दोसू पुत्र चानणा 13. करीमो पत्नी चानणा 14. रामतुल्लाखान पुत्र काम्भू 15. हैयातखान पुत्र काम्भू जाति मुसलमान, निवासी जुनेजों की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर 16. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता वादी – श्री बृजमोहन कुमावत।
2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4, 8, 14, 15 – श्री जेठाराम कुमावत।

–:: डिक्री पर्चा ::–

दिनांक : 13.02.2023

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री बृजमोहन कुमावत एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4, 8, 14 व 15 की ओर से अधिवक्ता श्री जेठाराम कुमावत को आज तारीख 13.02.2023 को सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि :–

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा जुनेजों की ढाणी, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 326, 339, 347, 388 रकबा क्रमशः 135.02, 20.03, 0.10, 17.07 बीघा भूमि में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahaveer Singh Jodha
Date: 2023.04.05 18:06:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

यह डिक्री पर्चा आज दिनांक 13.02.2023 को न्यायालय की मुद्रा व मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner